

संख्या-1256/22-4-13-48(4)/13

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक-19 सितम्बर, 2013

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में 24 बेड अस्पताल वार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24172/नम-1/213, दिनांक-7.8.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-434/22-4-13-48(4)/13, दिनांक-22.3.2013 द्वारा केन्द्रीय कारागार, आगरा में 24 बेड अस्पताल वार्ड के निर्माण हेतु ₹0-43,45,000/- (रूपया तेतालिस लाख पैतालिस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में ₹0-17,38,000/- (रूपये सत्रह लाख अड़तिस हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-7.8.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि ₹0-26,07,000/- (रूपये छब्बीस लाख सात हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग दिनांक-31.12.2013 तक अवश्य कर लिया जाय।

अन्तिम

25.8.13
अन्तिम
फिर्मल

अन्तिम

26.8.13

7063

100
20.9.2013

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक-22.3.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.13 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1256(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, आगरा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।